राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–244/2013
पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीः–सोनीराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सामराउ तहसील ओसियां जिला जोधपुर हाल निवासी चक 57 एल एन पी तहसील पदमपुर श्री गंगानगर।

बनाम

अप्रार्थीः–तहसीलदार, आसियां

उपस्थितिः–
1. श्री घेवरराम विश्नोई वकील प्रार्थी
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त व हक अधिकार सुदा भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 200.16 बीघा व खसरा नम्बर 1064 रकबा 176.13 बीघा ग्राम साराउ तहील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 840 में प्रार्थी व उनके भाई बीजाराम, ताराचंद व बालुराम के साथ संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1064 में प्रार्थी व उनके भाई बीजाराम, ताराचंद व बालुराम के साथ संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 840 जो प्रार्थी व उनके भाईयों के नाम से म्युटेशन संख्या 219 दिनांक 06.02.1970 के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था, लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वंश प्रार्थी सोनीराम का नाम के स्थान पर पीथाराम दर्ज कर दिया जो जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 से स्पष्ट है तथा उसके बाद आगामी जमाबंदी दर्ज करते वक्त बिना किसी आदेशव डिकी के प्रार्थी का नाम गलती से पीथाराम दर्ज किया था वह भी हटा दिया तथा आज दिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नही है जो केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश दर्ज होने से रहा है। प्रार्थी का नाम म्यूटेशन संख्या 219 से स्पष्ट है लेकिन यह म्युटेशन दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम सोनीराम के स्थान पर सोनाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोनीराम ही है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1064 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वंश सोनीराम के स्थान पर सोनाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सोनीराम ही है और इस प्रकार प्रार्थी के मल निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग [illegible] जाति प्रमाण पत्र में भी सोनीराम पुत्र रूपाराम दर्ज है। मौके पर भी प्रार्थी [illegible] भूमि पर अपने हक हिस्सा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ र[illegible] का नाम पीछे छुट जाने की जानकारी प्रार्थी को न[illegible] वर्तमान में 57 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में निवास करते है और अप[illegible] उक्त भूमि के राजस्व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

ध्यान नहीं दिया न ही प्रार्थी का नाम जो सोनाराम गलत दर्ज हुआ है उसकी भी जानकारी प्रार्थी को थी। प्रार्थी ने जब अपनी भूमि के विकास कार्य बाबत उस पर विद्युत कनेक्शन लेने के आशय से अपनी भूमि की जमाबंदी ली तब पता चला कि प्रार्थी का नाम खसरा नम्बर 840 में पीछे छुट गया है व खसरा नम्बर 1064 में व म्युटेशन नम्बर 219 में भी प्रार्थी का नाम सोनाराम गलत दर्ज कर दिया है। तब प्रार्थी ने अपना नाम शुद्ध करवाने व जमाबंदी में जो नाम पीछे छुट गया है उसे दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि आपको अपना नाम वापिस दर्ज करवाने व नाम शुद्ध करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, ओसियां से आदेश लेना होगा तब प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः खसरा नम्बर 840 मौजा सामराउ मे प्रार्थी का जो नाम बिना किसी आदेश के पीछे रहा है उसे जोडा जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे साथ ही म्युटेशन संख्या 219 में प्रार्थी का नाम जो सोनाराम दर्ज किया गया है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 1064 मौजा सामराउ मे प्रार्थी का नाम जो सोनाराम दर्ज किया गया है, उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम सोनीराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां ने अपने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 840 में विशना, झूमर पि.पीथा व विशनाराम, झुमरराम पि. पतुराम डबल दर्ज हो गया है, सोनाराम पि. रूपाराम का नाम हट गया है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 36 मे विशनाराम की विरासत होने खाता मांगीलाल पिता विशनाराम, धापू पत्नि विशनाराम, झूमर पिता पिथा के नाम दर्ज है व अतः सोनाराम (सोनीराम) पि. रूपाराम के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। खसरा नम्बर 1064 की भूमि विक्रयकर दी गयी है शेष भूमि खसरा नम्बर 840 में शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। जमाबंदी के खाता संख्या 36 का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराया गया तथा अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रेकर्ड शुद्धिकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर .मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा तहसीलदार, ओसियां के द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिला है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, खाता संख्या 36 खसरा नम्बर 840 में मांगीलाल पिता विशनाराम, धापू पत्नि विशनाराम, झूमर पिता पिथा जो दोहरे नाम है उनकी एक प्रविष्टि को रखा जाकर दूसरी पृविष्टि के स्थान पर सोनीराम पिता रूपाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल रेगर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner